

INSTRUCTION FOR COLLEGES

U.G. (Regular) course 2021–2024 में Admission और Registration साथ–साथ Online होना है। इस संबंध में College Administration के लिए निम्न Instruction तय किये गये हैं। जो निम्न है:–

- (1) छात्रों का Admission Process शुरू करते समय सबसे पहले छात्रों से निम्न Documents लें।
 - (a) Xth Marksheet Photo copy
 - (b) XIIth Marksheet Photo copy and original only for verification
 - (c) C.L.C./S.L.C. original
 - (d) Migration original
 - (e) Caste certificate (If applicable)
 - (f) E.W.S certificate (If applicable)
 - (g) Handicapped (If applicable)
- (2) Admission Portal पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित Cast and Category की सूची डाल दिया गया है। जिससे कॉलेज इसकी जाँच कर लें कि छात्रों के द्वारा अपने Cast and Category को नामांकन प्रपत्र (Admission form) में सही ढंग से Fill up किया है अथवा नहीं।
- (3) Selection list/offer letter में छात्र का अंकित Marks का मिलान मूल अंक पत्र से सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। मिलान में अन्तर आने पर छात्र का Admission suspension में डाल दें। अर्थात् Admission स्थगित कर दें।
- (4) Selection list/offer letter में Fill Up किये Cast and Category की भी जाँच Original Cast Certificate से करना अनिवार्य है।

Original Cast Certificate और Offer letter में cast and category में अन्तर पाये जाने पर Admission को तत्काल suspension mode में डाल दें।

कंडिका 2 और 3 के आधार पर जिन छात्रों का Admission suspension mode में डाला गया है। उनका suspension न तो कॉलेज और न ही विश्वविद्यालय स्तर पर होगा। ऐसे छात्र 24 घण्टे के अन्दर email dswppup.ac.in पर आवेदन में suspension के कारण का जिक्र करते हुए आवेदन के साथ suspension से संबंधित supporting paper भेज दें। 24 घण्टे के बाद छात्र का Application स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही छात्र Process से बाहर कर दिये जाएंगे।

- (5) Admission के साथ–साथ Registration भी होना है। छात्रों को Registration का Link तब तक नहीं मिलेगा जबतक कॉलेज छात्रों के Admission को Validate नहीं कर देते हैं अर्थात् Validation में Late Registration में Late। इसे कॉलेज को समझना होगा।

(2)

(6) ऐसे छात्र नामांकन के लिए आपके पास आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड (Board) द्वारा यथा—

- (i) मूल अंक पत्र (Original Mark sheet) XIIth
- (ii) मूल माईग्रेशन (Original Migration)
- (iii) C.L.C./S.L.C

निर्गत नहीं किया गया है। ऐसी विशेष परिस्थिति में छात्र को अपने Online Marks sheet को प्राचार्य/प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर एवं स्कूल/कॉलेज के Letter Head पर माईग्रेशन (Migration) एवं C.L.C./S.L.C निर्गत नही होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत उपरोक्त certificate के आधार पर छात्र का औपबधिक (Provisional) नामांकन (Admission) ले लिया जाय, परन्तु छात्र से इस आशय आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ अवश्य लें कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 30 (तीस) दिनों के अन्दर जमा कर दिया जायेगा।

यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर छात्र अपना सभी प्रमाण पत्र (certificate) जमा नहीं करते हैं तो उनका नामांकन स्वतः समाप्त/निरस्त हो जाएगा।

(7) ऐसे छात्रों का Admission Validation का दो stages होगा –

पहले stage में छात्र के उपरोक्त सभी documents के समक्ष No Tick लगाकर Validation होगा। दूसरे stage में 30 दिन के अन्दर छात्र द्वारा उपरोक्त documents कॉलेज में Admission Incharge के पास जमा होने बाद कॉलेज द्वारा पुनः No की जगह Yes कर उस छात्र का Validation करेंगे, अर्थात् जब छात्र के द्वारा सारे documents का Yes कर Validation होगा। उसके बाद ही छात्र का Registration slip down load होगा।

(8) छात्रों के Admission Validate होने के तुरन्त बाद छात्र को Registration Link मिल जाएगा। Registration Link पर जाकर छात्र Registration fee के साथ-साथ Registration form Fill up करेंगे। इसकी जानकारी छात्रों को देना कॉलेज की जावाबदेही होगी।

(9) विश्वविद्यालय के Admission Process पूरा होने के 10 दिनों बाद छात्र Registration Portal से Registration slip Download कर सकेंगे।

(10) छात्र द्वारा Fill up किये गये आवेदन (Application) में पाये जाने वाले छोटी-मोटी त्रुटि जैसे

- (a) नाम (Name)
- (b) पिता का नाम (Father's Name),
- (c) माता का नाम (Mother's Name)
- (d) जन्मतिथि (Date of Birth)

(3)

(e) बोर्ड (Board)

(f) धर्म (Religion)

आदि Validation के समय कॉलेज द्वारा पूर्ण कर ही Validate किया जाएगा। इस त्रुटि सुधार के लिए अगर Admission Incharge छात्रों से आवेदन (Application) लेना उचित समझते हैं तो वे इसकी मांग छात्रों से कर सकते हैं।

- (11) Admission & Registration से संबंधित छात्रों के किसी भी आवेदन (Application) को कॉलेज अपने स्तर से collect करेंगे और उन आवेदनों (Applications) को सुधार हेतु विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर सुधार करायेंगे।
- (12) छात्र अपने किसी भी correction के संबंध में आवेदन (Application) कॉलेज में जमा करेंगे। विश्वविद्यालय में आवेदन (Application) जमा करने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी जबाबदेही कॉलेज को दिया गया है।
- (13) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः 3 (तीन) मैरिट लिस्ट (Merit list) निकाली जायेगी। सीट (seat) की उपलब्धतः रहने पर ही चौथा (4th) मैरिट लिस्ट (Merit list) निकाला जायेगा जो Open merit list होगा।
- (a) Open Merit list का तात्पर्य यह है कि इस लिस्ट में किसी प्रकार का Reservesion Policy Adopt नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल Merit and Choice पर ध्यान दिया जाएगा।
- (b) 3rd Merit list और 4th Merit list में Slide Up का Provision नहीं होगा।
- (14) 4th Open merit list के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए Sport Admission का मौका दिया जाएगा।

Sport Admission के संबंध में विशेष जानकारी 3rd Merit list Admission के बाद विश्वविद्यालय अपने Website के माध्यम से देगा, अर्थात् छात्र 3rd Merit list के बाद Sport Admission के संबंध में Admissiom portal से जानकारी लेते रहेंगे।

(4)

(15) Quota Admission के लिए भी online apply करना होगा। offline Admission का कोई प्रावधान (Provision) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नहीं है। Quota के तहत category का निर्धारण निम्न प्रतिशत के रूप में किया गया है।

(1)	Donor/Ward/NRI	-	2% (Only Son/Daughter)
(2)	Sports	-	2% (National level/State level/District level and University Championship)
(3)	Fine Arts	-	2% (National level/State level/District level and University Championship)
(4)	NCC/NSS	-	1%
(5)	Ward of Ex-Army	-	1%
(6)	Physically Challenged	-	3% (minimum 40% disability Horizontal reservation)

Quota Reservation के तहत Admission के लिए आवेदन करते वक्त Quota से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate) अपने अन्य प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ portal पर Load करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपके आवेदन को Quota के तहत नहीं माना जाएगा।

(16) Reservation का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही Reservation का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को Reservation लाभ नहीं मिलेगा।